भारत दो रुपये TWO भारत दो रुपये भारत दो रुपये TW भारत दो रुपये TWO भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(1)

न्यायालय –: श्रीमान राजस्व मुण्डल महोदय ग्वालियर श्रंखला भोपाल

PBR/अपील/होशंगाबाद/भू.रा/2018/0073

नीरज सोनी आयु 30 साल आत्मज रमेश चन्द्र सोनी निवासी शोभापुर रोड राधाकृष्ण वार्ड पिपरिया तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद

— अपीलार्थी / आवेदक

बिरूद्ध

म0प्र0 राज्य

अपील / पुनरीक्षण कमांक

प्रस्तुत दिनांक 27.12.2017

अपील अन्तर्गत धारा 44 भू0रा0सं0

अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोद्य नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्र.क. 60 / बर्ष 2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया महोद्य पिपरिया द्वारा रा0प्र0क0 60बी / 121बर्ष 2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2017 से परिवेदित होकर यह द्वतीय अपील / पुनरीक्षण श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हें ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/अपील / होशंगाबाद / भू.रा. / 2018 / 0073

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता व स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के आदेश दिनांक 3–4–2017 की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच हेतु प्रकरण मद बी–121 में दर्ज कर तहसील न्यायालय को मात्र प्रशासनिक निर्देश दिये गये हैं । अतः अपीलार्थी को तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करना चाहिए । उपरोक्त स्थिति में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा अपीलार्थी की अपील अग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	